न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 41 / 2022
जीसीएमएस : 2022 / 525

01. गुरजीतकौर पत्नी श्री जोगासिंह जाति सैनी साकिन 13 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
02. तरणप्रीतसिंह पुत्र श्री जोगासिंह जाति सैनी साकिन 13 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
03. प्रीतमसिंह पुत्र श्री दीदारसिंह जाति सैनी साकिन 13 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर राज. जिला श्रीगंगानगर।

—:प्रार्थी

बनाम

1. अमरजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति सैनी साकिन 13 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. हरजिन्द्र कौर पत्नी श्री अवतार सिंह जाति सैनी साकिन 13 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर राज. जिला श्रीगंगानगर।
3. हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति सैनी साकिन 13 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर राज. जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—21.10.2022

उपस्थित अधिवक्ता:—
1. श्री प्रीतमसिंह गिल प्रार्थीगण अधि.।
2. श्री सिकन्दरसिंह अप्रार्थी सं. 1 ता 4 अधि.।

—:निर्णय:—

दिनांक 25.04.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 13 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता सं. 36 / 33 में पं.नं. 36 / 33 में पं.नं. 119 / 275 मु.नं. 12 के कि.नं. 1 / 1 ता 14 की कुल खाता योग 3.542 है. नहरी मय खाला आवेदगण गुरजीतकौर व तरणप्रीतमसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं व खाता संख्या 45 / 42 में अन्य भूमि के अलावा पं.नं. 119 / 275 मु.नं. 12 के कि.नं. 15 / 1 ता 25 / 2 की कुल 2.783 है. नहरी मय खाला आवेदक प्रीतमसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। चूकि आवेदगण को अपनी जोत वाके चक 13 पी.एस. के मुरब्बा नं. 12 के कि.नं. 1 / 1 ता 25 में स्वयं व कृषि यंत्र व औजार व अन्य साधनों के पहुंचार्थ व आवाजाही के लिये एक मात्र चालू रास्ता अनावेदगण की जोत वाके चक 13 पी.एस. के मुरब्बा नं. 13 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में दो—दो बिस्वा यानि 0.025—0.025 है. कुल 0.125 है. दक्षिणी पासा चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। इस प्रस्तावित रास्ता के अलावा आवेदक की जोत में [illegible] कोई रास्ता नहीं है ओर उक्त रास्ता नजदीक, सरल, [illegible] सुविधाजनक है इसलिये यह आवेदन पेश [illegible] हलफनामा पेश कर निवेदन है कि [illegible] आवेदकगण [illegible] स्वीकार फरमाया जाकर अपनी—अपनी जोत [illegible] पहुंचार्थ व कृषि [illegible] औजार, कम्बाईन व आम परिवहन साधनों इत्यादि के आवाजाही के लिए अनावेदक अमरजीतसिंह की धृति वाके चक 13 पी.एस.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

AnyScanner

तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 120/275 मु.नं. 13 के कि.नं. 21 ता 24 प्रत्येक में 0.025–0.025 है. यानि दो–दो बिस्वा दक्षिणी पासा व अनवेदगण बलविन्द्रकौर–हरजिन्द्रकौर व हरविन्द्रसिंह की धृति वाके चक 13 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 120/275 मु.नं. 13 के कि.नं. 25 में 0.025 है. यानि दो बिस्वा दक्षिणी पासा कुल 0.10 बिस्वा यानि 0.0125 है. चालू रास्ता को स्वीकृत फरमाया जावे। आवेदगण रास्ता भूमि के बदले मुआवजा के तोर पर उचित प्रतिकर अदा करने को तैयार हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1–2 की तरफ से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मु.नं. 12 को रास्ता स्वीकृत है जिससे प्रार्थीगण आवागमन करते है। प्रार्थीगण द्वारा चक 13 पीएस के मुरब्बा नं. 12 में रास्ता की मांगा गया है जो अनुचित व रंजिशवंश मांगा गया है प्रार्थी प्रीतमसिंह की अप्रार्थी के साथ रंजिश है इस वजह से अमरजीतसिंह को तंग परेशान करने के लिए रास्ता की मांग की गई है प्रार्थी प्रीतमसिंह ने अप्रार्थी के रकबा मुरब्बा नं. 7 में सांझी बट को ढा दिया व प्रार्थी का खाला तोड़कर पानी का नुकसान पहुचाया इसी रंजिश के कारण रास्ता मांगा गया है प्रार्थी प्रीतमसिंह विदेशी नागरिक है जो कभी कभार आता है प्रार्थीगण के पास अपने मुरब्बा नं. 1 में जाने के लिए मुरब्बा नं. 22 से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है व बना हुआ है तथा चालू है इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपने रकबा में पहुंच करते है व उक्त रास्ता ही सभी चिपते काश्तकारों के लिए उपलब्ध है। प्रार्थीगण को रास्ता होने के कारण अप्रार्थी अमरजीत सिंह के रकबा से रास्ता की कतई आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी को तंग परेशान व रंजिशवश प्रार्थीगण द्वारा रास्ता की मांग की गई है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/2100 दिनांक 13.11.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम वाके चक 13 पीएस के पं.नं. 119/275 मु.नं. 12 के कि.नं. 1/1 ता 14 की 3.542 है0 नहरी मय खाला गुरजीतकौर पत्नी जोगासिंह हिस्सा 1/2, तथा तरणप्रीतसिंह पुत्र जोगासिंह जाति सैनी हिस्सा 1/2 तथा कि.नं. 15/1 ता 25/2 की 2.783 है. नहरी मय खाला भूमि प्रीतमसिंह पुत्र दीदारसिंह जाति सैनी साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण चक 13 पीएस के पं.नं. 120/275 मु.नं. 13 के कि.नं. 5/1, 5/2, 6, 15, 16, 25 की कुल 1.265 है. नहरी मय खाला हरजिन्द्रकौर पत्नी अवतारसिंह तथा हरविन्द्रसिंह पुत्र अवतारसिंह जाति सैनी साकिन देह तथा इसी मु.नं. 13 के कि.नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 कुल 4.935 है. नहरी मय खाला भूमि अमरजीतसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति सैनी साकिन देह के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। अप्रार्थी के नाम चक 13 पीएस के पं.नं.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

118/275 मु.नं. 11 की 1 ता 25 की 6.325 है. नहरी/ बारानी मय खाला भूमि जंगीरसिंह पुत्र दीवानसिंह जाति जटसिख साकिन देह के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण को अपने रकबे मे आवागमन हेतु मु.नं. 13 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025 है. दक्षिणी पासा में रास्ता की मांग की है। अतः प्रार्थीगण द्वारा मु.नं. 13 के कि.नं. 21 ता 25 में चाहा गया रास्ता अधिकतम दूरी पर है चक 13 पीएस के मु.नं. 22 में चल रहे स्वीकृतशुद्वा रास्ता से आगे मु.नं. 11 के कि.नं. 21 में 0.015 है. यानि 40 गुणा 40 वर्ग फीट रास्ता के लिए प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण अपने रकबे में सुगमता से आवागमन कर सकता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता से निकटतम दूरी पर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. प्रार्थीया गुरजीतकौर द्वारा दिनांक 07.03.2025 को ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में सही, वास्तविक व तकनीकी बिन्दूओं को नजरअंदाज कर तैयार की गई हैं जांच रिपोर्ट में चक 13 पी.एस. के मु.नं. 29 व 22 व 11 में चल रहे स्वीकृत रास्ता से मु.नं. 11 के कि.नं. 21 के कोणा से मुरब्बा नं. 12 में पहुंचने के लिये रास्ता की अनुशंषा की गई है मगर मु.नं. 22 के कि.नं. 1 के पश्चिमी उतरी कोणा में पुराना चालू ट्यूववेल होने व दर्शाये गये रास्ता के चिपते साथ-साथ चालू पक्का खाला मोजूद है जो आगे की जमीनें उंचाई पर होने से उकनी सिंचाई के लिये उक्त पक्का खाला भी प्रार्थीगण की भूमि से काफी लगभग 5-6 फुट ऊंचा बनाया जाने से खाला पार कर प्रार्थीगण के मुरब्बा नं. 12 में कृषि यंत्रों कम्बाईन, ट्रेक्टर-ट्राली, औजारों सहित प्रवेश करना संभव नहीं है। इसके अलावा आबादी से उक्त रास्ता की दूरी लगभग 5 मुरब्बा पड़ती हे ओर सीधा, सरल व सुगम भी नहीं है जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाह गया रास्ता आबादी से प्रार्थीगण के खेत तक की दूरी मात्र 2 मुरब्बा पड़ती है जो सीधा, सरल, सुगम, सुविधाजनक व नजदीक होने से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पक्ष पारिवारिक सदस्य है और दोनो पक्ष बंटवारा से पूर्व संयुक्त रूप से रकबा को काश्त कर रहे थे ओर बंटवारा करते समय रास्ता, खाला, आड़ आदि को मध्यनजर रखते हुए भूमियों का बंटवारा उनके मध्य हुआ ओर तदनुसार ही उक्त प्रस्तावित रास्ता से आना-जाना प्रार्थीगण कर रहे है तथा आबादी से चिपते भूमि मु.नं. 19 व मु.नं. 13 की भूमि अप्रार्थी व अप्रार्थी के पक्ष के परिवार की है उक्त दोनो मुरब्बाजात में आने-जाने के लिये रास्ता आम मौजूद है ओर प्रार्थीगण अप्रार्थी के मुरब्बा नं. 13 के कि.नं. 21 ता 25 मे चल रहे अस्वीकृत रास्ता को स्वीकृत करवाने के अधिकारी है, जो प्रस्तावित रास्ता ही प्रा[illegible] में पहुंचाने के लिये सीधा, सरल, सुगम, सुविधाजनक, नजदीक [illegible]कताजनक व तकनीकी दृष्टि से भी सुविधाजनक [illegible] रास्ता सीधा, सरल, सुगम, सुविधाजनक, नजदीक व तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए उपरोक्त स[illegible] बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित है। [illegible]थीया का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पत्र/एतराजजात में प्रस्तुत बिन्दूओ की विस्तृत जांच कर मौका की रिपोर्ट पुनः मंगवाये जाने व प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमावें।

5. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थी राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में है अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण को मुरब्बा नं. 12 में आने–जाने के लिए पूर्व में ही मुरब्बा नं. 22 से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है इसी रास्ता से प्रार्थीगण आना–जाना करते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी, हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मु.नं. 13 के कि.नं. 21 ता 25 में चाहा गया रास्ता अधिकतम दूरी पर है। चक 13 पीएस के मु.नं. 22 मे चल रहे स्वीकृतशुद्वा रास्ता से आगे मु.नं. 11 के कि.नं. 21 में 0.015 है. यानि 40 गुणा 40 वर्ग फीट रास्ता के लिए प्रस्तावित है उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता से निकटतम दूरी पर है उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की है स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण के दौरान भी उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा उक्त रकबा के खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकारान संयोजित नहीं किया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 क आरटीएक्ट खारिज किया जाना उचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested